लक्ष्मीलाल बनाम नाथद्वारा मन्दिर मण्डल
प्रकरण संख्या 17/2019 ई.दी.

25.09.2019 :—

वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 8 मध्यस्थता अधिनियम का पेश कर यह कथन किया गया कि प्रकरण पक्षकारों के मध्य निविदाओं से संबंधित है और एग्रीमेण्ट में मध्यस्थता का प्रावधान होने के कारण क्षेत्राधिकार निषेधित किया गया है। वाद वादी खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए अप्रार्थी/वादी की ओर से यह कथन किया गया कि तथाकथित इकरार धारा 7 माध्यस्थम अधिनियम के अनुरूप नहीं है, इस कारण वह इकरार नहीं है। उक्त इकरार में पक्षकारान के मध्य विवाद होने पर क्लॉज 49 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पक्षकारान के बीच विवाद होने पर विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा केवलमात्र न्यायालय क्षेत्र नाथद्वारा के द्वारा ही निर्णीत किया जायेगा। इस इकरार पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रार्थना पत्र जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर देरी करने के आशय से पेश किया गया है जो खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथाकथित इकरार का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत ''ए. आई.आर. 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 1379'' प्रस्तुत किया गया। इस न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से बहस में में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए इकरार की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर उक्त इकरार के क्लॉज 23 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कथन किया कि इस एग्रीमेण्ट में उक्त क्लॉज में मध्यस्थता का क्लॉज है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इन तर्कों के विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी/

वादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि इसी इकरार के क्लॉज 49 में नाथद्वारा न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी वर्णित किया गया है और इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत आई.आर. 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 1379'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे करार जिसमें पक्षकारान मध्यस्थता में जा सकते हों और दावा ला सकते हों, का प्रावधान हो, ऐसा करार मध्यस्थता करार की श्रेणी में नहीं आयेगा। अतः इस मध्यस्थता करार में भी दोनों ही प्रावधान दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में यह करार मध्यस्थता करार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 में माध्यस्थम करार बाबत् प्रावधान दिया हुआ है और इस धारा की उपधारा 4 क में यदि माध्यस्थम करार लिखित है तो वह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में होना चाहिए। इस पत्रावली में संलग्न उक्त एग्रीमेण्ट का अवलोकन करने पर इस एग्रीमेण्ट में केवलमात्र वादी के ही हस्ताक्षर पूरे करार में हो रहे हैं लेकिन इस पर प्रतिवादी के कोई हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं ऐसी स्थिति में इसे माध्यस्थम करार धारा 7 के अनुसार नहीं माना जा सकता। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''आई.आर. 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 1379'' में यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा करार जिसमें मध्यस्थता व दावा दोनों ही विकल्प दिये गये हों वह मध्यस्थता करार की श्रेणी में नहीं आता। तथाकथित करार में भी दोनों ही खण्ड दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में धारा 8 की अनिवार्यता प्रकरण में लागू नहीं होती है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जवाबदावा में दिनांक 09.10.2018 को पेश हो।